मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6–1/2010/1/3 भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2010

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सचिव/अपर सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः– विभागीय जांच के अपील प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रकिया–लोक सेवा आयोग से परामर्श।

———

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 657–346–एक(1)–1, दिनांक 21 मार्च, 1980 द्वारा शासन के ज्ञाप दिनांक 25 नवम्बर, 1975 में वर्णित निर्देशों का संदर्भ देते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि विभागीय जांच/अपील प्रकरणों में लोक सेवा आयोग को शासन की पैरावाईज टीप प्रेषित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्रेषित की जानी चाहिए। प्रेषित टीप पर अवर सचिव से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी के हस्ताक्षर न केवल अंतिम पृष्ठ पर होने चाहिए बल्कि प्रत्येक पृष्ठ पर होने चाहिए जिससे टिप्पणी की विश्वसनीयता असंदिग्ध रहे।

2/ शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेश से निराकृत होने वाले अपील प्रकरणों में लोक सेवा आयोग से अभिमत प्राप्त किये बिना प्रकरण समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी को प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अपील प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा उठाये गए प्रत्येक मुद्दे पर पैरावाईज टीप तैयार कर संबंधित प्रशासकीय विभाग अपील के निराकरण के संबंध में अपना अभिमत स्पष्ट करते हुए प्रकरण लोक सेवा आयोग को परामर्श के लिये प्रेषित करेगा। लोक सेवा आयोग से अभिमत प्राप्त होने पर प्रकरण समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी को अंतिम निराकरण के लिये प्रस्तुत किये जाऐंगे। इसी प्रकार की प्रकिया अपील के उन प्रकरणों में भी अपनाई जाएगी जिसमें अंतिम निराकरण के अधिकार मंत्रि–परिषद् को है।

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग